2025 | 709

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़

राहुल बनाम राजू आदि

मुकदमा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 157 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
03.09.2025	प्रार्थी राहुल की तरफ से वकील श्री उमाशंकर शर्मा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। रीडर की जांच रिपोर्ट के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र एवं सलग्न दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि चक 9 डीडब्ल्यूएम के खाता सं. 80/18 के प.नं. 152/23(14) कि.नं. 1/1, 2 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 9, 10/1, 11/2, 12 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 19, 20/1, 21/4, 22/2, 23/2, 24/2, 25/3, 25/4, प.नं. 152/31(15) कि.नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 20, 21/2, 22/2, 23/2, 24/2, 25/2 की कुल 11.242 है. भूमि की अप्रार्थीगण रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें व रहन बैय करने से निषेद्ध रहें। यह निषेधाज्ञा रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थी, अप्रार्थीगण को साधारण डाक के साथ–साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 06.10.2025 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	
6/10/2025	बार संघ का कार्य स्थगन होने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 9/12/2025 को पेश हो।	
9.12.2025	[illegible] पर है। पत्रावली दिनांक 10.12.2025 को पेश हो।	
9.2.2026	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र मिसल पेशी [illegible] के कारण [illegible] राजीनामा होने [illegible] नहीं चलाना चाहते है। मौजूदा स्थिति में [illegible] चाहते है। अतः प्रार्थना-पत्र मौजूदा स्थिति में खारिज [illegible] किया जाता है। प्रत्यावली नम्बर के कम होने पर [illegible] तरमीम तकमील जाब्ता हासिल [illegible] हो।	सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2026.02.21 11:45:16 IST
Reason: SelfAttested